कार्यालय राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान,जयपुर

प्रस्ताव संख्या एस.टी.ए. 2/2019/27557 जयपुर, दिनांक 8-11-219

विषयः— उप—नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्गों एवं लोक परिवहन सेवा के अनुज्ञापत्र से कर्वड यात्री बसों को अस्थाई/विशेष अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के सबंध में।

उप—नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग एवं लोक परिवहन सेवा के अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा आम जनता को सस्ता साधन उपलब्ध करवाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा 8 के तहत अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु समय—समय पर निवेदन किया है।

अतः जनहित के मध्येनजर रखते हुये राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पूर्व में जारी प्रस्ताव संख्या 1/2008 दिनांक 05.03.2008 को अतिक्रमित करते हुये समस्त सचिव/अपर सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निर्देश जारी करती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में उप—नगरीय मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों/मिनी बसों तथा लोक परिवहन सेवा के अनुज्ञापत्र पर संचालित बसों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा 8 के अन्तर्गत माह में निम्नानुसार अधिकतम अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर सकेंगें।

क्र.सं.	स्टैज कैरिज वाहन प्रकार	अस्थाई परमिटों की अधिकतम संख्या एवं अधिकतम दिवस		
1	उप—नगरीय मार्ग पर संचालित	10	20	प्रतिमाह
2	ग्रामीण मार्ग पर संचालित	5	10	प्रतिमाह
3	लोक परिवहन सेवा के अनुज्ञापत्र पर संचालित	2	5	प्रतिमाह

सदस्य,
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 9 (253) परि/आरटीए/मु./2008/00203/27558-64 जयपुर, दिनांक 8-11-219

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्रीजी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)
3. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)
4. समस्त अतिरिक्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (जिला परिवहन अधिकारी)
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
7. रक्षित पत्रावली

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner